शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 21 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 19 – 26 मई 2025 मूल्य पांच रूपये

विमल नेगी की हत्या हुई है या आत्महत्या ही है

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उठी आशंका

शिमला/शैल। क्या विमल नेगी की मौत का प्रकरण दूसरा गुड़िया कांड बनने जा रहा है? क्या यह प्रकरण कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों के लिए घातक प्रमाणित होगा? क्या यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने जा रहा है? यह सारी आशंकाएं इसलिये उभरी हैं क्योंकि

प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच सी.बी.आई. को सौंपने पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर एस.पी. शिमला और प्रदेश महाधिवक्ता की पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से सामने आयी हैं उनसे यह संकेत उभरे हैं। विमल नेगी दस मार्च को अपने कार्यालय से गायब हुये। इस गायब होने पर उनके परिजनों ने उन्हें तलाशने की गुहार लगाई और डी.जी.पी. ने इस पर एक एस.आई.टी. गठित कर दी। लेकिन यह तलाश कुछ परिणाम लाती उससे पहले ही विमल नेगी का शव 18 मार्च को गोविंद सागर झील में मिल गया। 19 मार्च को इस मृतक शरीर का पोस्टमार्टम एम्स बिलासपुर में करवाया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आयी है उसके मुताबिक मृतक की मौत पांच दिन पहले हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के मुताबिक विमल नेगी की मौत बारह/तेरह मार्च को हो चुकी थी। इस रिपोर्ट से यह सवाल उठता है कि यदि मौत बारह/तेरह मार्च को हो गयी थी और शव अठारह मार्च को गोविंद सागर झील में मिला तो क्या यह मृतक शरीर करीब एक सप्ताह पानी में रहा? क्या मृतक के शरीर पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि मृतक शरीर इतना समय पानी में रहा है? क्योंकि इतना समय पानी में रहने से मृतक शरीर पर बदलाव आ जाता है। फिर मृतक के शरीर से पैन ड्राइव और मोबाइल फोन भी मिले हैं। क्या इन उपकरणों पर एक सप्ताह पानी में रहने से बदलाव नहीं आया होगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जितना जिक्र उच्च न्यायालय के फैसले में आया है उसमें इस ओर कोई संकेत नहीं है। इस वस्तुस्थिति में यह सवाल उभरता है कि शायद यह आत्महत्या का मामला न होकर हत्या का मामला तो नहीं है?

18 मार्च को शव बरामद होने के बाद 19 मार्च को पुलिस मृतक की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज कर लेती हैं। एक एस.आई.टी. बनाकर एफ.आई.आर. पर जांच शुरू हो जाती है। सरकार प्रशासनिक जांच भी आदेशित कर देती है और इसकी जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को सौंप दी जाती है और पन्द्रह दिन के भीतर जांच पूरी करने को कहा जाता है। दूसरी ओर विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी सरकार की कार्यप्रणाली से अप्रसन्न होकर सी.बी.आई. जांच के अनुरोध की याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर कर देती है। इस याचिका पर उच्च न्यायालय डी.जी.पी., ए.सी.एस. होम और एस.पी. शिमला से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर लेता है। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में ए.सी.एस. होम और डी.जी.पी. तथा एस.पी. अपनी रिपोर्ट्स उच्च न्यायालय को सौंपते हैं। तीनों ही रिपोर्टें अन्त: विरोधी हैं। उच्च न्यायालय तीनों अन्त: विरोधी रिपोर्टें देखकर इस मामले की जांच सी.बी.आई. को सौंप देता है।

उच्च न्यायालय का सी.बी.आई. जांच का फैसला आते ही इस पर एस.पी. शिमला डी.जी.पी. के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। पत्रकार वार्ता के माध्यम से डी.जी.पी. और ए.सी.एस गृह के खिलाफ गंभीर आरोप लगा देते हैं। यही नहीं प्रदेश के मुख्य सचिव के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगा देते हैं। एस.पी. शिमला के इस व्यवहार पर डी.जी.पी. एस.पी. को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के लिये गृह सचिव को पत्र भेज देते हैं। इसी प्रकरण में प्रदेश के महाधिवक्ता भी पत्रकार वार्ता के माध्यम से ए.सी.एस. होम ओंकार शर्मा और डी.जी.पी. के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। इस मोर्चा खोलने पर प्रदेश के महाधिवक्ता भी डी.जी.पी. और ए.सी.एस. होम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं। विमल नेगी प्रकरण की जांच से परोक्ष/अपरोक्ष में जुड़े अधिकारियों का आचरण स्पष्ट कर देता है कि निश्चित रूप से पुलिस जांच पूरे प्रकरण को आत्महत्या की ओर ले जा रही थी। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या होने की ओर भी पर्याप्त संकेत उभरते हैं। ए.सी.एस. होम की जांच में जो शपथ पत्र इंजीनियर सुनील ग्रोवर का ब्यान आया है उसमें पावर कॉरपोरेशन की शौंग टौंग जल विद्युत परियोजना में सैकड़ो करोड़ का घोटाला हुआ है और पेखूबेला सोलर परियोजना में सौ करोड़ का घपला हुआ है। इन घपलों के लिये विमल नेगी पर अनुचित दबाव डाला जा रहा था। दबाव और प्रताड़ना के आरोप ए.सी.एस. होम की रिपोर्ट में भी आये हैं। पुलिस की जांच इसे आत्महत्या का मामला मान रही है जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत 12 – 13 मार्च को ही हो जाना हत्या होने की ओर बड़ा संकेत बनता है। इसलिये सी.बी.आई. की जांच से ही स्पष्ट हो पायेगा कि यह हत्या है या आत्महत्या और इसके लिये पावर कॉरपोरेशन की परियोजनाओं पर लग रहे सैकड़ो करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपों की क्या भूमिका रही है। जिस तरह से बड़े अधिकारियों में अपने में ही घमासान शुरू हुआ है उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कुछ छुपाने और दबाने के प्रयास हो रहे थे। इसी से इस मामले की गुड़िया कांड पार्ट दो बनने की संभावना बनती जा रही है।

चम्बा में केन्द्रीय सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मांग

शिमला/शैल। कांगड़ा के लोक सभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह और सहकारी मन्त्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे चम्बा में केन्द्रीय सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया की चम्बा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदंशील हैं और इस दृष्टि से इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की उपस्थिति अनिवार्य है।

सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने अमित शाह से चुराह और चम्बा के सीमावर्ती क्षत्रों में तैनात स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का मानदेय बढ़ाने की मांग

की और बताया की यह स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स दुर्गम क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में कई सालों से देश की सेवा कर रहे हैं लेकिन उन्हें पर्याप्त मानदेय नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से ये लोग आर्थिक तंगी झेल रहे हैं।

उन्होंने बताया की सीमावर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में कार्यरत स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को हिमाचल में तैनात स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स से कहीं ज्यादा, मानदेय मिलता है जबकि दोनों का कार्य क्षेत्र एक सा ही है।

सांसद डॉ.राजीव भारद्वाज ने अमित शाह को गर्मियों में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का दौरा करने का अनुरोध किया जिसे मन्त्री जी ने स्वीकार कर लिया।

केन्द्रीय गृह और सहकारी मन्त्री अमित शाह ने सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज द्वारा उठाये गये मुद्दों पर सकारत्मक सहमति जताई और अधिकारियो को उचित कारवाई के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में अमृत स्टेशन के तहत पुनर्विकसित बैजनाथ-पपरोला रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

राज्यपाल मंडी जिला के करसोग से राष्ट्रीय उद्घाटन समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर से अमृत स्टेशन के तहत देश भर में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया।

राज्यपाल ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत रेलवे की बुनियादी अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार रेलवे की बुनियादी अधोसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 17,714 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, 2025-26 के केंद्रीय बजट में राज्य के लिए 2,716 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के चार रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिपूर्ण करने की कार्य योजना बनाई गई है।

राज्यपाल ने गिरि गंगा जल स्रोत पुनरुद्धार अभियान का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला जिला के जुब्बल उपमंडल में लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गिरि गंगा में जल स्रोत पुनरुद्धार अभियान का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और वन एवं जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने मंदिर परिसर में चिनार का पौधा भी रोपित किया, जो प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

स्वच्छता अभियान का आयोजन होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवा और एसडीआरएफ द्वारा स्थानीय महिला मंडलों के सहयोग से किया गया। राज्यपाल ने महिला मंडलों को पौधे भेंट किए और उन्हें अपनी-अपनी पंचायतों में पारंपरिक जल निकायों के रखरखाव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

राज्यपाल ने महिलाओं से पर्यावरण संरक्षण और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं इन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन का स्रोत है और हमें इसकी शुद्धता और निरंतरता सुनिश्चित करनी चाहिए। गिरि गंगा के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इसे आस्था, वन और भूमि से जुड़ी विरासत बताया।

शिव प्रताप शुक्ल ने जलवायु परिवर्तन और घटते प्राकृतिक संसाधनों की चुनौतियों के दृष्टिगत गिरि गंगा जैसे पारंपरिक जल स्रोतों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे जल स्रोत न केवल अमूल्य प्राकृतिक संपत्ति हैं, बल्कि पवित्र विरासत भी हैं जिन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।

उन्होंने पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करने में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवा और एसडीआरएफ की सक्रिय भूमिका की सराहना की और कहा कि ये संगठन पारंपरिक रूप से आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हैं और अब पारिस्थितिक संरक्षण में सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में, पारंपरिक जल स्रोतों ने सदियों से लोगों को अमूल्य जल की सुविधा प्रदान की है। दुर्भाग्यवश आधुनिकीकरण और शहरीकरण के कारण यह उपेक्षित हुए हैं और अब उन्हें पुनर्जीवित करने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने स्थानीय समुदायों, विशेषकर युवाओं से पेड़ों और जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजकीय पहल नहीं, बल्कि जल संरक्षण एक जन आंदोलन बनना चाहिए।

इससे पहले, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तथा होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं की कमांडेंट जनरल सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा बताया कि अभियान के प्रथम चरण के तहत 950 पारंपरिक जल स्रोतों की पहचान की गई है। इनमें से 236 की स्वच्छता का कार्य विभाग की 74 कंपनियों तथा 14 प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा किया जा चुका है। गिरि गंगा इस पहल का 237वां जल स्रोत है। उन्होंने इन जल स्रोतों की पहचान और संचालन में महिला मंडलों की सराहना की तथा कहा कि महिलाएं इन स्थलों को स्वच्छ तथा क्रियाशील बनाए रखने के लिए निरीक्षक की भूमिका निभाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह स्थल स्वच्छ और निरंतर बने रहें।

हॉर्टीकल्चर सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राजस्व मंत्री से की भेंट

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश हॉर्टीकल्चर सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राजस्व, बागवानी,

जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी से भेंट की। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. रंजन शर्मा ने वेतन और रिक्त पदों पर भर्ती संबंधी विभिन्न मांगें बागवानी मंत्री के समक्ष रखीं। जगत सिंह नेगी ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

बागवानी मंत्री ने कहा कि विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए बागवानी विकास अधिकारियों को फील्ड में तैनाती दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान-बागवान उनके अनुभव और ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश फल राज्य के तौर पर और अधिक समृद्ध व खुशहाल बनेगा तथा बागवानों की आर्थिकी भी सुदृढ़ हो पाएगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने शिकारी माता मंदिर में दर्शन किए

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंडी जिला के अपने तीन दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन सराज विधानसभा क्षेत्र में जंजैहली के समीप स्थिति शिकारी माता मंदिर में दर्शन किए। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उनके साथ उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने हेलीपेड से मंदिर तक का रास्ता पैदल तय किया। मंदिर में उन्होंने पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर समिति की ओर से पहली बार यहां पहुंचने पर राज्यपाल व लेडी गवर्नर को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, डा. साधना ठाकुर, राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी व गणमान्य उपस्थित थे।

तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त किसान मंच ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

शिमला/शैल। संयुक्त किसान मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। मंच ने राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा।

मंच के संयोजक हरीश चौहान ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि भारत वर्तमान में लगभग 44 देशों से सेब आयात करता है, जिसमें तुर्की भारत को प्रतिवर्ष लगभग 1.29 लाख मीट्रिक टन सेब निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि तुर्की भारत को सेब निर्यात से लगभग 800 से 1,000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ अर्जित करता है।

हिमाचल प्रदेश में सेब उद्योग के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए चौहान ने बताया कि राज्य में प्रतिवर्ष 6 से 10 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है तथा लगभग 3 से 4 लाख परिवार प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले तथा पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले देशों को एक कड़ा संदेश भी जाएगा।

राज्यपाल ने मंच की मांगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया तथा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर राज्य की आर्थिक खुशहाली से जुड़ा है तथा किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कृतिका शर्मा को माउंट एवरेस्ट फतह करने पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले की 17 वर्षीय कृतिका शर्मा को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कृतिका ने इस साहसिक उपलब्धि से न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कैडिट कोर (एनसीसी) के कैडेट कृतिका ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस कठिन लक्ष्य को हासिल किया है। उनकी यह उपलब्धि देश व प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

सुक्खू ने कहा कि कृतिका ने लगन और कड़ी मेहनत से यह सिद्ध किया है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो उसे हासिल करने में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती है।

मुख्यमंत्री ने कृतिका शर्मा और पूरी टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदर सिंह जसवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के सायरी क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदर सिंह जसवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री जसवाल का उनके निवास स्थान पर निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सुंदर सिंह जसवाल ने खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य और ग्राम पंचायत सायरी के प्रधान के रूप में लोगों की निःस्वार्थ भाव से सेवा की और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट कर तुर्की से सेब आयात और अन्य मुद्दों पर चर्चा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के लिए उदार वित्तीय

सहायता प्रदान करने तथा लम्बित धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष – 2032 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर रही है और वर्तमान योजनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है।

उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार की पर्यटन, हरित ऊर्जा, विद्युत और अन्य क्षेत्रों में की गई पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों की रक्षा की पैरवी की। उन्होंने इन परियोजनाओं को राज्य को लौटाने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्यों के अधिकारों की भी पुरजोर वकालत की और मुफ्त रॉयल्टी तथा 40 वर्ष पूरे कर चुके पीएसयू तथा सीपीएसयू को राज्य को सौंपने का मामला भी उठाया। उन्होंने 40 वर्ष पूरा कर चुकीं परियोजनाओं से अधिशेष भूमि वापिस करने और योजना लागत पूरी करने के उपरान्त रॉयल्टी में बढ़ोतरी से संबंधित मामला भी उठाया।

सुक्खू ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने राज्य के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा का भी आग्रह किया तथा तुर्की और अन्य देशों से सेब के आयात के संबंध में चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की मांगों को सुना और सेब के आयात संबंधी मामले की समीक्षा करने तथा अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उधार सीमा दो प्रतिशत बढ़ाने का अनुरोध किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य से संबंधित विभिन्न बजटीय और वित्तीय मामलों से केंद्र सरकार को अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने तुर्की से आयातित सेब के मामले पर भी विचार – विमर्श किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सहित देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब पर आयात शुल्क में एक सर्वव्यापी वृद्धि के लिए भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से हिमाचल और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की उधार सीमा को कम से कम दो प्रतिशत बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों और कई वित्तीय बाधाओं के बावजूद वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश से स्थायी सदस्य की नियुक्ति का अनुरोध किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए।

उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं में राज्य की मुफ्त बिजली हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, खासकर उन परियोजनाओं में जहां लागत पहले ही वसूल की जा चुकी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, लेकिन इसके वाजिब अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से काफी विस्तार हो चुका है लेकिन हिमाचल प्रदेश को इसका जायज हक नहीं मिला है।

मुख्यमंत्री ने बैरा – स्यूल परियोजना को हिमाचल को सौंपने की लंबे समय से लंबित मांग पर भी चर्चा की, जिसका निर्माण 1980 – 81 में किया गया था। उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड (बीबीएमबी) से बकाया राशि जारी करने

का भी अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश से एक स्थायी सदस्य नियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।

केन्द्रीय विद्युत मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सुक्खू ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) की लुहरी, सुन्नी तथा धौलसिद्ध परियोजनाओं के साथ – साथ एनएचपीसी की डुग्गर परियोजना को राज्य को सौंपने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का लागत मूल्यांकन वर्तमान में किया जा रहा है। उन्होंने जाठिया देवी टाउनशिप के विकास के लिए केन्द्रीय निधि की भी मांग की तथा शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर विचार – विमर्श किया। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री को केन्द्र से हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की भेंट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। उन्होंने

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सहायता के बारे में अवगत करवाया। बैठक के दौरान आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन और प्रगति व स्वास्थ्य अधोसंरचना के निर्माण पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कैंसर केयर सेंटर के लिए केंद्र से सहयोग तथा राज्य में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए अस्पतालों में नवीनतम चिकित्सा तकनीक और आधुनिक उपकरणों के लिए आग्रह किया। उन्होंने पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं के मानदंडों में ढील देने का भी आग्रह किया तथा लंबित धनराशि जारी करने की मांग की।

जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने राज्य को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से पर्यटन परियोजनाओं के लिये लंबित धनराशि जारी करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

से भेंट कर हिमाचल प्रदेश लम्बित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं और मंत्रालय से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार युवा साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने औहर परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की इस क्षेत्र को जल क्रीड़ा गंतव्य बनाने की योजना है। उन्होंने देहरा और पौंग डैम से जुड़ी परियोजनाओं को भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भेजी गई परियोजनाओं को स्वीकृति देने और एसएएससीआई (राज्य के लिए पूंजी निवेश की विशेष योजना) के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं को भी मंजूरी देने की मांग की, जिससे राज्य में प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का विकास किया जा सके।

सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निवेश की संभावनाएं तलाशने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभाग सिंह और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से कशाऊ बांध के वित्तपोषण सम्बंधी मुद्दे पर चर्चा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल से भेंट की। बैठक के दौरान किशाऊ बांध के वित्तपोषण सम्बंधी मुद्दे पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने किशाऊ जल विद्युत परियोजना में हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अथवा किशाऊ परियोजना के मुख्य लाभार्थी राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को इस परियोजना की पूरी लागत वहन करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि रेणुका बांध परियोजना में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और नि:शुल्क बिजली घटक के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए।

परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परियोजनाओं के दृष्टिगत पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हुए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जल जीवन मिशन के तहत लंबित राशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।

सी.आर. पाटिल ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

एक विनम्र तरीके से, आप दुनिया को हिला सकते हैं।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

व्यवस्था परिवर्तन ने पंहुचाया व्यवस्था अतिक्रमण तक

सुक्खू सरकार ने जब प्रदेश की सत्ता संभाली थी तब शासन का सूत्र जनता के सामने व्यवस्था परिवर्तन का रखा था। इस व्यवस्था परिवर्तन को कभी भी परिभाषित नहीं किया गया था। जबकि देश की व्यवस्था संविधान के तहत चलती है। जिसमें संसद द्वारा समय-समय पर संशोधन भी हुये हैं। संविधान के तहत स्थापित प्रशासन को बचाने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस बने हुये हैं। जिसमें एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर मुख्य सचिव और मंत्री परिषद तक सबके अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से परिभाषित है एक स्थापित नियमावली है। फिर इस सबसे ऊपर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक लाज सर्वोपरि रहती है। इस व्यवस्था में से आप क्या बदलना चाहते थे वह अभी तक प्रदेश की जनता को स्पष्ट नहीं हो पाया है उसे समझाने का प्रयास करें। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को इसलिये सत्ता सौंपी थी वह भाजपा से संतुष्ट नहीं थी। फिर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने के लिये दस गारंटियां दे रखी थी। इस सब पर भरोसा करते हुये जनता ने आपको सत्ता सौंप दी। सत्ता में आते ही आपने प्रदेश की जनता को यह चेतावनी देकर डरा दिया कि राज्य के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। इस चेतावनी से लगा कि यह सरकार किसी भी तरह की फिजुल खर्ची नहीं करेगी। लेकिन व्यवहार में आपके खर्चे पिछली सरकार से कई गुना बढ़ गये। इन खर्चो को पूरा करने के लिये आम आदमी पर परोक्ष/अपरोक्ष करों का बोझ डालने और कर्ज लेने की नीति अपना ली। दो वर्षो में 5200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश की जनता से उगवाया। कर्ज लेने में अब पुरानी सारी सीमाएं लांघ गये । जब आपने सत्ता संभाली थी तब प्रदेश 76000 करोड़ के कर्ज के नीचे था। प्रदेश का कर्ज आज एक लाख करोड़ से बढ़ गया है। यह कर्ज और जनता से वसूला गया राजस्व कहां निवेश हुआ है शायद इसकी कोई जानकारी आपका तंत्र जनता के सामने रखने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि आप कर्मचारियों के हर वर्ग को समय पर वेतन और पैन्शनरों को पैन्शन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आज आपको केंद्र से प्रदेश की कर्ज सीमा बढ़ाने का आग्रह करना पड़ रहा है। केंद्र ने आपको ओ.पी.एस. की जगह यू.पी.एस. अपनाने का सुझाव दिया है। यही स्थिति अन्य गारंटीयों की है हरेक में किन्तु-परन्तु जोड़कर उनका दायरा कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बेरोजगारी का मानक बढ़ता जा रहा है। यह सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस को प्रदेश की वितीय स्थिति की जानकारी नहीं थी? क्या कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिये आम आदमी से झूठ बोला था। क्या जनता में एक भी गारंटी व्यवहारिक शक्ल ले पायी है शायद नहीं। सारी मंत्री परिषद वरिष्ठ विधायकों की है क्या इनको सदन में पारित होते रहे बजटों की समझ नहीं थी। यह स्थापित नियम है कि राज्य सरकारों को अपना राजस्व व्यय अपने ही साधनों से पूरा करना पड़ता है। केवल विकासात्मक आय बढ़ाने वाले कार्यो के लिये ही एक सीमा तक कर्ज लेने का प्रावधान है। जो राज्य कर्ज सीमा बढ़ौत्तरी के लिये सुप्रीम कोर्ट गये थे उन्हें शीर्ष अदालत ने इन्कार कर दिया है। इस वित्तीय स्थिति को सामने रखते आने वाला समय और कठिन होने वाला है। लेकिन सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर जो फैसले आज तक ले रखे हैं वह सरकार पर भारी पढ़ने जा रहे हैं। आज सरकार के मुख्य सचिव के सेवाविस्तार को उच्च न्यायालय में चुनौती मिली हुई है क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सीबीआई ने चला रखा है। सरकार के मुख्य सलाहकारों के खिलाफ मुख्यमंत्री स्वयं बतौर विपक्षी विधायक सदन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। पावर कारपोरेशन में व्यापक भ्रष्टाचार ने एक व्यक्ति की जान ले ली है और इस पर सारा शीर्ष प्रशासन उच्च न्यायालय में नंगा हो गया है। प्रशासन में हर स्तर पर व्यवस्था का अतिक्रमण हो रहा है। भ्रष्टाचार को संरक्षण देना सरकार के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव डाल रहा है। आज सरकार अपने ही कर्ज भार से दबने के कगार पर पहुंच चुकी है। जिस तरह के आरोप शिमला के एस.पी. ने पत्रकार वार्ता में लगाये हैं उनका जवाब भी देर सवेर जनता की अदालत में तो देना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देना व्यवस्था परिवर्तन नहीं अतिक्रमण होता है।

पिछड़े और दलित हिन्दुओं के लिए ही नहीं पसमांदा मुसलमानों के लिए भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा जातिगत जनगणना

गौतम चौधरी

आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत विवरण शामिल करने का केन्द्र सरकार का निर्णय, सामाजिक डेटा संग्रहण के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। दरअसल, वर्ष 1931 के बाद यह पहली व्यापक जातिगत गणना होने वाली है। यह कदम पसमांदा मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखता है - जिसमें पिछड़े, दलित और आदिवासी मुस्लिम समुदाय शामिल हैं - जिन्हें सामाजिक - आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण से यह पता चला है कि राज्य की लगभग 80% मुस्लिम आबादी पसमांदा समूहों से संबंधित है। इस तरह के समावेशी आंकड़ों की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित किया जाना है। सभी समुदायों की विस्तृत जातिगत जानकारी एकत्र करके, राष्ट्रीय जनगणना अधिक लक्षित सकारात्मक कारवाइयों और सामाजिक न्याय के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। साथ ही हाशिए पर पड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं का समाधान भी सहजता से निकाला जा सकता है।

भारत में मुस्लिम पहचान के एकरूपीकरण के कारण पसमांदा मुसलमानों के संघर्षो को अकसर हाशिए पर रखा जाता रहा है। जहां समुदाय को अकसर एक अखंड समूह के रूप में चित्रित किया जाता है लेकिन वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। इससे मुस्लिम समाज में मौजूद आंतरिक पदानुक्रम और जाति - आधारित असमानताएं मिटती हुई - सी प्रतीत होती है। नतीजतन, मुस्लिम हाशिए पर पड़े लोगों को संबोधित करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियां और कथन अकसर पसमांदाओं द्वारा सामना किए जाने वाले असमान बहिष्कार और गरीबी को ध्यान में रखने में विफल हो जाते हैं। इसका परिणाम, उनकी विशिष्ट सामाजिक - आर्थिक चुनौतियों और मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे सार्वजनिक चर्चा और राज्य कल्याण कार्यक्रमों दोनों में उनकी अदृश्यता और अधिक बढ़ जाती है। राष्ट्रीय जाति जनगणना का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के भीतर जातिगत असमानताओं को पहचानना है तथा अंततः पसमांदा मुसलमानों के विशिष्ट संघर्ष को मान्यता प्रदान करना है।

सच्चर समिति (2006) ने मुसलमानों के सामाजिक - आर्थिक पिछड़ेपन को उजागर किया, जिसमें कहा गया कि कई पसमांदा उप - समूहों की स्थिति साक्षरता, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों से भी बदतर है। मुस्लिम समुदाय के भीतर विस्तृत जातिगत आंकड़े एकत्र करके, जनगणना न्यायसंगत नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए आधार तैयार कर सकती है, जो पसमांदाओं के स्तरीकृत हाशिएकरण की समस्या के समाधान में बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

ऐतिहासिक रूप से, पसमांदा मुसलमानों को औपनिवेशिक अभिलेखों में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी, जहां ब्रिटिश प्रशासन ने मुसलमानों के बीच जातिगत विभाजन को सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया था, जैसा कि उन्होंने हिंदुओं के बीच किया था। 1901 और 1931 की जनगणना जैसी रिपोर्टो ने मुस्लिम जातियों को अशरफ, अजलाफ और अरज़ल श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जिससे समुदाय के भीतर पदानुक्रम और अस्पृश्यता के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। हालांकि, आज़ादी के बाद भारत के नीति निर्धारकों ने मुसलमानों को एक ही अल्पसंख्यक के रूप में देखा और नीति और सार्वजनिक चर्चा से आंतरिक जातिगत स्तरीकरण को मिटा दिया। वर्ष 1950 में दलित मुसलमानों के लिए अनुसूचित जाति का आरक्षण छीन लिया गया। इस बदलाव ने न केवल कल्याणकारी योजनाओं और सकारात्मक कारवाई में पसमांदाओं को अदृश्य बना दिया, बल्कि प्रभावशाली कुलीन मुसलमानों को हाशिए पर पड़े लोगों के प्रतिनिधित्व और लाभों पर एकाधिकार करने का मौका भी दे दिया।

जाति जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ की जानी चाहिए ताकि प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने में इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। जातिगत आंकड़ों को कम करके दिखाने या छिपाने का कोई भी प्रयास - विशेष रूप से सामाजिक कलंक या राजनीतिक दबाव के कारण - इस अभ्यास के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा, जिसका उद्देश्य पसमांदा मुसलमानों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों की वास्तविक सामाजिक - आर्थिक वास्तविकताओं को उजागर करना है। निष्पक्ष नीतियां बनाने, संसाधनों और अवसरों का समान आवंटन करने तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सटीक और ईमानदार आंकड़े आवश्यक हैं। मुस्लिम समुदाय के भीतर जातिगत आंकड़ों को अलग - अलग करके, जाति जनगणना लक्षित नीतियों के लिए तथ्यात्मक आधार प्रदान कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पसमांदाओं को अब एक बड़ी धार्मिक पहचान के समरूप हिस्से के रूप में नहीं बल्कि सकारात्मक कारवाई और न्याय के वैध दावों के साथ एक सामाजिक रूप से अलग समूह के रूप में माना जाएगा।

निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा उपलब्ध कराएगा

प्रचार के मानदंडों को तर्क संगत बनाया जाएगा

मतदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने और मतदान के दिन व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहलों के अनुरूप, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉज़िट सुविधा प्रदान करने और प्रचार के मानदंडों को तर्क संगत बनाने के लिए दो और व्यापक निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते कवरेज और उपयोग से न केवल आम मतदाताओं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मतदान के दिन मोबाइल फोन के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर केवल मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी और वह भी फोन बंद करने के बाद। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बहुत ही साधारण लकड़ी के ख़ाने यानि बॉक्स या जूट के बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा करने होंगे। मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है। मतदान केंद्र के भीतर मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाले चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एम, का सख्ती से पालन किया जाना लागू रहेगा।

इसके अलावा, चुनाव के दिन सुविधा में सुधार के उद्देश्य से, आयोग ने चुनावी कानूनों के अनुरूप प्रचार के लिए स्वीकार्य मानदंडों को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी तक तर्कसंगत बनाया है। हालांकि, मतदान के दिन मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, अगर मतदाता आयोग द्वारा जारी अपनी आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) नहीं ले जा रहे हैं, तो मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के लिए मतदान के दिन उम्मीदवारों द्वारा स्थापित बूथ अब किसी भी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जा सकते हैं।

चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग कानूनी ढांचे के अनुसार तय नियमों के आधार पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही मतदाताओं के लिए सुविधाओं में विस्तार के लिए निरंतर नवाचार भी कर रहा है।

आत्मनिर्भर व सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यस्था का मजबूत आधार 'प्राकृतिक खेती पद्धति'

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में किसान व बागवान प्राकृतिक खेती पद्धति की ओर अधिकाधिक संख्या में आकर्षित हुए हैं और उन्होंने रसायन मुक्त खेती को अपनाया है। वर्तमान में प्रदेश में 99.3 प्रतिशत पंचायतों में प्राकृतिक पद्धति से खेती की जा रही है और 2 लाख 23 हजार किसानों और बागवानों ने प्राकृतिक खेती को पूर्णत: या आंशिक रूप से अपनाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा किसानों और बागवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वकांक्षी निर्णयों की भूमिका श्रेयस्कर हैं। इसी के परिणामस्वरूप प्रदेश में भारी संख्या में किसान व बागवान, रसायन मुक्त खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनके लिए अतिरिक्त आय सृजन के विकल्प तलाशने, उनकी उपज के वाजिब दाम दिलाने, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, फसल बीमा सुनिश्चित करने, किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र के घटकों पर विशेष ध्यान दिया है। कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार हर पहलू पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नवीन योजनाएं ला रही है। इन योजनाओं के लाभ जमीनी स्तर पर अतिशीघ्र मिले, इसके लिए बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

सरकार द्वारा गत अढाई वर्षों में किसान हित में जो निर्णय लिए गए हैं वह अप्रत्याशित और ऐतिहासिक हैं। प्रदेश में पहली बार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए वर्तमान सरकार द्वारा इस पद्धति से उगाई विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की पर गत वर्ष 30 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था। इस निर्णय से किसानों में जो खुशी की लहर देखने को मिली और रसायन मुक्त खेती की ओर जिस गति से रूझान बढ़ता दिखा उसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष से समर्थन मूल्य को 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिकिलो किया। राज्य सरकार द्वारा अब तक 1509 किसानों से लगभग 400 मीट्रिक टन मक्की की खरीद समर्थन मूल्य पर की गई है। इसी प्रकार गेहूं पर भी 60 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है और इसकी खरीद प्रक्रिया भी जारी है।

प्रदेश सरकार को प्राकृतिक खेती उत्पाद पर समर्थन मूल्य प्रदान करने से कृषि समुदाय की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है उससे प्रेरित होकर सरकार ने चरणबद्ध तरीके से प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई कच्ची हल्दी पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस वित्त वर्ष से राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी पर 90 रुपये प्रतिकिलो का समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। इस हल्दी को प्रसंस्कृत कर 'हिमाचल हल्दी' के नाम से बाजार में उतारा जाएगा।

राज्य सरकार ने प्रदेश के 9.61 लाख किसानों को चरणबद्ध तरीके से प्राकृतिक खेती विधि से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्राकृतिक खेती से उगाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए 10 मंडियों में स्थान निर्धारित कर आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में प्रदेश में कार्यान्वित प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अंतर्गत 27.60 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं तथा इस वित्त वर्ष के लिए 7.28 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस योजना का मार्गदर्शन राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति कर रही है। इस समिति का संचालन एवं निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विशेष कार्यबल कर रहा है।

किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुदान भी प्रदान किए जा रहे हैं। आदान बनाने के लिए ड्रम खरीद पर 750 रुपये प्रति ड्रम के तौर पर अधिकतम 2250 रुपये अनुदान का प्रावधान है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गौशाला का फर्श पक्का करने और गौमूत्र हेतू गढ्डा बनाने के लिए 8 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। भारतीय नस्ल की गाय की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 25000 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। गाय के परिवहन के लिए 5 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि का भी प्रावधान है।

प्राकृतिक खेती पद्धति की अन्य विशेषता इसका शून्य लागत खेती होना है। लागत के शून्य होने से एक ओर जहां किसानों की आय में वृद्धि होती है वहीं इस बचत से किसानों के जीवन स्तर में आशातीत सुधार होते हैं। प्राकृतिक विधि से उगाया हुआ अनाज पौष्टिक होता है और रसायन का इस्तेमाल न होने से भूमि की उर्वर क्षमता भी गुणवत्तापूर्ण बनी रहती है। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल और इस दिशा में किए जा रहे कार्य ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है।

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने अपनाया भूस्खलन शमन और ढलान स्थिरीकरण के लिए प्रकृति आधारित समाधान

राजन कुमार शर्मा

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन अपने हिमालयी परिदृश्यों और हिल-स्टेशनों के लिए लोकप्रिय है। और यहां रॉक क्लाइम्बिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग और राफ्टिंग जैसी आउटडोर गतिविधियां लोकप्रिय आकर्षण हैं। राज्य संस्कृति और परंपराओं में भी समृद्ध है, जहां बाज़ारों में पश्मीना शॉल, हिमाचली टोपियां और अन्य स्थानीय उत्पाद भी मिलते हैं। लेकिन आये दिन या बरसात के मौसम में इस हिमालय क्षेत्र में बहुत ही अत्यधिक भूस्खलन और मिट्टी के कटाव की घटनाएं सामने आती हैं। यह घटनाएं चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित गतिविधियों के कारण उत्पन्न हो न केवल मनुष्य जाति की रोजमर्रा की जिंदगी परंतु प्रकृति को भी नुकसान पहुंचती है। परंतु अब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उचित कदम उठाते हुए इसमें अभूतपूर्व उन्नति वह उपलब्धि हासिल की है: अगर विशेष उदाहरण की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में हाल ही में विश्वकर्मा चौक के साथ लगती पहाड़ी पर पिछले लंबे समय से जारी भूस्खलन को रोकने में लोक निर्माण विभाग कामयाब हो गया है। इसके साथ ही इस तरह की तकनीक को सोलन से शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे भी देखा जा सकता है। इसमें एक तरह से रॉक बोल्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ी को मजबूती दी जाती है, और आप कह सकते हैं कि जन सुरक्षा के मध्य नजर लोक निर्माण विभाग ने शानदार काम किया है। हालांकि आने वाला मानसून इसकी परीक्षा रहेगा परंतु पहाड़ी को मजबूती देने का काम पूरा कर लिया गया है, और इस तरह से यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। मंडी जिला में विश्वकर्मा मंदिर के ऊपर वाली पहाड़ी पिछले दो-तीन सालों से काफी ज्यादा दर्क रही थी और भूस्खलन होने के कारण यातायात को प्रभावित भी कर रही थी। इसके ऊपर बने घरों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया व इस भूस्खलन को रोकने के लिए मंडी प्रशासन ने भूगर्भीय वैज्ञानिकों की भी सहायता ली थी। लोक निर्माण विभाग अब इस पहाड़ी को बांधने में कामयाब रहे हैं, यह काम इतना आसान नहीं था। इसमें मिट्टी की जांच से लेकर गहराई में रॉक का पता लगाते हुए एक तरह से इसे लोहे से बांधा गया है। इसमें टर्फ टेनफोर्स मैट करने के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है साथ ही धरातल तल पर छोटे-छोटे मजबूत दीवारों का निर्माण किया गया है, जिससे कि इसे भविष्य में और अधिक मजबूती प्रदान की जा सके।

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गो की कुल लंबाई : 2592 किलोमीटर है:

1. पीडब्ल्यूडी = 1238 किलोमीटर
2. एनएचएआई=785 किलोमीटर
3. बीआरओ = 569 किलोमीटर

हिमाचल प्रदेश में एनएच अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा क्रियान्वित की जा रही चार लेन की परियोजना:

1. परवाणू-सोलन-शिमला-ढली एनएच-22 (नया एनएच-05): कार्य प्रगति पर है।
2. पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ एनएच-21 ए (नया एनएच-105) :डीपीआर तैयार हो रही है।
3. शिमला-मटौर एनएच-88 :डीपीआर तैयार हो रही है।
4. पठानकोट-चक्की-मंडी एनएच-20:डीपीआर तैयार हो रही है।
5. गरमौरा-सवारघाट-मंडी-मनाली एनएच-21:कार्य प्रगति पर है।

प्रकृति आधारित समाधान का क्रियान्वयन: हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन शमन और ढलान स्थिरीकरण के लिए प्राकृतिक-आधारित समाधान को पारंपरिक इंजीनियरिंग विधियों के लिए टिकाऊ, लागत प्रभावी और पारिस्थितिक रूप से ध्वनि विकल्प या पूरक के रूप में देखा जा रहा है। राज्य के पहाड़ी इलाके, नाजुक भूविज्ञान और जलवायु परिवर्तन और मानवजनित दबाव (जैसे वनों की कटाई, सड़क निर्माण और जलविद्युत विकास) के कारण बढ़ती भेद्यता को देखते हुए, एन. बी. एस. इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं।

हिमाचल प्रदेश के लिए प्रमुख प्राकृतिक-आधारित समाधान

1. वनस्पति ढलान स्थिरीकरण जैव इंजीनियरिंग तकनीक जैसे मिट्टी को पकड़ने और कटाव को कम करने के लिए गहरी जड़ वाली देशी घास, झाड़ियाँ और पेड़ (जैसे, वेटिवर, बांस, सैलिक्स, डोडोनिया, विटेक्स) का उपयोग करना। अपवाह को धीमा करने और तलछट को फंसाने के लिए वनस्पति का उपयोग करके समोच्च हेजरो और लाइव चेक डैम।

लाभ: मिट्टी का प्रतिधारण, बेहतर जल निकासी, सौंदर्य वृद्धि, आवास निर्माण।

चुनौतियां: वनस्पति स्थापित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त उपायों के बिना खड़ी या बहुत अस्थिर ढलानों में कम प्रभावी।

2. कृषि वानिकी और ढलान खेती मजबूत जड़ प्रणाली वाले बारहमासी प्रजातियों या फलों के पेड़ों के साथ अंतर-फसल।

ढलान ढाल और मिट्टी की गति को कम करने के लिए वनस्पति आवरण के साथ संयुक्त सीढ़ीदार खेती।

लाभ: आजीविका का समर्थन करता है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है, कटाव को नियंत्रित करता है।

चुनौतियां: किसानों की सहमति और दीर्घकालिक रखरखाव की आवश्यकता होती है।

3. वर्षा जल संचयन और अपवाह प्रबंधन सतह अपवाह को धीमा करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए रिसाव गढ्डों, खाइयों और छोटे चेक बांधों की स्थापना। जल विज्ञान संतुलन बनाए रखने के लिए झरनों और स्थानीय जल निकायों की बहाली। लाभ: ढलान संतृप्ति को कम करता है, भारी वर्षा जैसे भूस्खलन ट्रिगर को कम करता है। चुनौतियां: सामुदायिक भागीदारी और उचित जल विज्ञान योजना की आवश्यकता होती है।

4. वन और चरागाह बहाली

क्षरित ढलानों पर देशी, गहरी जड़ों वाली प्रजातियों के साथ पुनर्वनीकरण। आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण जो ढलान की भेद्यता को बढ़ा सकती हैं (जैसे, लैंटाना कैमरा)। लाभ: ढलान की अखंडता, जैव विविधता और जल प्रतिधारण को बढ़ाता है। चुनौतियां: लंबी गर्भावधि और चरागाह दबावों के प्रति संवेदनशीलता।

5. समुदाय-आधारित वाटरशेड प्रबंधन एकीकृत वाटरशेड विकास दृष्टिकोण जो मृदा संरक्षण, जल संचयन और आजीविका विविधीकरण को जोड़ते हैं।

ढलान प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी योजना। लाभ: स्थानीय हितधारकों को सशक्त बनाता है, लचीलापन बनाता है और स्थिरता को बढ़ाता है। चुनौतियां: प्रभावी संस्थागत ढांचे और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में एनबीएस परियोजनाओं के उदाहरण

भूस्खलन-प्रवण ढलानों पर वनरोपण के लिए सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को शामिल करने वाली इको-टास्क फोर्स (ईटीएफ) पहल। कांगड़ा में कंडी वाटरशेड परियोजना-समोच्च ट्रेंचिंग, वनरोपण और अपवाह नियंत्रण को लागू किया गया JICA-सहायता प्राप्त परियोजनाएं जिनमें ढलान स्थिरीकरण में बायोइंजीनियरिंग तकनीकें शामिल हैं। नीति और संस्थागत समर्थन हिमाचल प्रदेश वन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तेजी से एनबीएस को शमन ढांचे में एकीकृत कर रहे हैं। राष्ट्रीय हिमालयीअध्ययन मिशन(एनएमएचएस) और राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी) जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखण। विश्व बैंक और एडीबी द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अक्सर पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) के हिस्से के रूप में एनबीएस घटक शामिल होते हैं। हिमाचल में प्रभावी एनबीएस के लिए सिफारिशें हाइब्रिड समाधानों में पारंपरिक इंजीनियरिंग विधियों के साथ एन.बी.एस. को एकीकृत करें।

स्थानीय ज्ञान का उपयोग करें और पंचायतों और ग्राम वन समितियों को शामिल करें।

ढलान स्थिरीकरण के लिए देशी प्रजातियों की प्रभावशीलता पर अनुसंधान और निगरानी को बढ़ावा दें। दीर्घकालिक वित्तपोषण और रखरखाव योजनाएं सुनिश्चित करें। हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने के लिए भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण मानचित्र विकसित करें।

राजीव गांधी के विजन को लागू कर रही है राज्य सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सद्भावना चौक छोटा शिमला में राजीव

गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए राजीव गांधी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री के महान योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान किया और भारत की प्रगति को गति देने वाली कई परिवर्तनकारी पहलों की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का मजबूत आधार रखा, जिसके सकारात्मक परिणाम वर्तमान पीढ़ी को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना शुरू की है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे के साथ यह स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना भी क्रियान्वित कर रही है, जिसके तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता की शपथ भी दिलाई।

इसके पश्चात, उन्होंने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली और अन्य गणमान्य ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से भेंट की

विभिन्न योजनाओं के तहत लम्बित धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से भेंट की।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने

निर्भया निधि से मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम सुख-आश्रय परिसर परियोजना के लिए 132.41 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख-आश्रय परिसर परियोजना के तहत एक ही स्थान पर आवासीय सुविधा के साथ-साथ प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र व मनोरंजन से सम्बंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस केंद्र में अनाथ, परित्यक्त बच्चों, वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजनों तथा शक्ति सदन में रहने वाली महिलाओं को रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों के लम्बित भुगतान के रूप में 3,68,76,538 रुपये की राशि जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय क्रेच योजना/पालना योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 व 2021-22 के लिए 91.33 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.80 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.22 करोड़ रुपये की लम्बित राशि जारी करने का भी आग्रह किया।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि वन-स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, शक्ति सदन, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण हब के तहत प्रबन्धन लागत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमानकों से कम है। उन्होंने आग्रह किया कि इन मानकों को राज्य में प्रचलित न्यूनतम वेतन के बराबर लाया जाना चाहिए।

उन्होंने जिला सिरमौर स्थित पावंटा साहिब में सखी निवास के निर्माण के लिए अंतिम किस्त के रूप में 27.85 लाख रुपये की राशि भी जारी करने का आग्रह किया।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि पोषण अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 2799.79 लाख रुपये की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि इस राशि के अतिरिक्त स्मार्ट फोन के लिए 804.68 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के साथ-साथ 1831 लाख रुपये की लम्बित देनदारियां भी हैं। उन्होंने इसके दृष्टिगत भी धनराशि के लिए आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र से लम्बित देय राशि जारी करने की वकालत की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में नीति आयोग की दसवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की।

बैठक में इस वर्ष 'विकसित भारत के लिए विकसित राज्य/2047' विषय पर चर्चा की गई। बैठक में विकास की राह में चुनौतियां तथा विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करने पर बल दिया गया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्वतीय राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं की पात्रता में छूट देते हुए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य को लम्बे समय से लम्बित देय राशि को भी जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र द्वारा लम्बित देय राशि को समय पर जारी किया जाता है तो हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश के पर्यटन मानचित्र पर सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में लाने के लिए राज्य सरकार के विजन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए धार्मिक, इको, जल, प्राकृतिक गतिविधि आधारित और स्वास्थ्य पर्यटन को विविध आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे पर बड़े विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी का विस्तारीकरण किया जा रहा है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ पर्यटकों को भी सुविधा होगी।

उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्यों के अधिकारों की भी पुरजोर वकालत की और मुफ्त रॉयल्टी और 40 वर्ष पूरे कर चुके पीएसयू तथा सीपीएसयू को राज्य को सौंपने का मामला भी उठाया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ऊर्जा नीति के अनुसार रॉयल्टी संबंधी मामला भी उठाया। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार पहले 12 वर्षों के लिए 12 प्रतिशत, उसके उपरान्त 18 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत तथा इसके बाद 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत निजी कम्पनियां सरकार की ऊर्जा नीति की अनुपालना कर रही हैं। उन्होंने केन्द्रीय पीएसयू को भी इस नीति को अपनाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वन सम्पदा उत्तर भारत को प्राण वायु प्रदान करती है तथा देश के हरित आवरण को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। प्रदेश सरकार ने हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगामी समय में हिमाचल देश के अग्रणी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक राज्य के रूप में उभरेगा। जिला सोलन में राज्य सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर एक मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि पहाड़ी राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा विभिन्न योजनाओं में पात्रता मानदंडों में ढील देते हुए धनराशि के अधिक आवंटन पर विचार किया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान उद्यमिता, कौशल विकास तथा सतत रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न पहलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

राजस्व मंत्री ने एफआरए के संबंध में कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी

ने एफआरए (वन अधिकार अधिनियम -2006) के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई थी और 1 जनवरी, 2008 से वन अधिकार नियम लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि एफआरए 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति व अन्य सभी श्रेणी के सदस्य या समुदाय जो 13 दिसंबर, 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से वन भूमि पर निवास करते आ रहे हैं और अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हैं, को भूमि का अधिकार दिया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने बैठक में एफआरए के संबंध में कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव स्तर से जिला स्तरीय कमेटी तक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का एफआरए कार्य एसीआर में रिफलेक्ट होगा। उन्होंने पटवारी व कानूनगो की जबावदेही सर्विस गारंटी एक्ट के तहत तय करने के भी निर्देश दिए।

राजस्व मंत्री ने आपदा राहत से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र से सम्मानित वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश के वीर सपूतों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रदेश के ऊना जिला के घरवासड़ा गांव के भारतीय थल सेना के गनर नायक दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र तथा किन्नौर जिला के तरांडा गांव के हवलदार रोहित कुमार नेगी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिला यह सम्मान जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और देश भक्ति की भावना का प्रतीक है। इन वीर नायकों के बलिदान के फलस्वरूप हिमाचल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। यह सम्मान प्रदेश के वीर जवानों के अदम्य साहस को प्रदर्शित कर रहा है। इतिहास में यह स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है कि देश की रक्षा के लिए शत्रुओं से लोहा लेने में प्रदेश के जवान हमेशा ही आगे रहे हैं। इन वीर जवानों की शहादत प्रदेशवासियों के साथ-साथ पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए सम्मान और भावुकता का क्षण है।

छह किलोमीटर तक की दूरी के लिए अब लिया जाएगा 1200 रुपये बस पास किराया

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से शिमला में शहर के निजी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के

अभिभावकों के शिष्टमंडल ने भेंट की। शिष्टमंडल ने हाल ही में बढ़ाए गए बस पास किराए सहित अन्य समस्याओं को उप-मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उप-मुख्यमंत्री ने अभिभावकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और उनके सुझावों को महत्व देते हुए विद्यार्थियों के हित में अहम निर्णय लिए।

उप-मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पहले बस पास के लिए दो स्लैब थे। पहले स्लैब में 5 किलोमीटर तक 1800 रुपये और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 2500 रुपये निर्धारित किए गए थे।

उन्होंने कहा कि अब इसमें सुधार करते हुए तीन स्लैब बनाए गए हैं। पहले स्लैब के अंतर्गत 6 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए बस पास किराया 1200 रुपये किया गया है। 1800 रुपये की तुलना में इसमें 600 रुपये की कटौती की गई है। इसमें यात्रा दूरी को एक किलोमीटर बढ़ाकर 5 से 6 किलोमीटर किया गया है। दूसरे स्लैब को 6 से 12 किलोमीटर तक किया गया है जिसमें बस किराया 700 रुपये कम कर 1800 रुपये तय किया गया है। तीसरे स्लैब के तहत 12 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अब बस पास का किराया 2000 रुपये निर्धारित किया गया है।

उप-मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बहुत जल्द विद्यार्थियों के बस पास की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे अभिभावकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश में जनकल्याण की भावना से सेवाएं प्रदान करता है और यह निर्णय उसी उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस निर्णय पर अभिभावकों ने उप-मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उनके इस संवेदनशील कदम की सराहना की।

इस अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित रहे।

76 लाख ग्रामीण नागरिकों के आधार सत्यापन के लिए परिवार रजिस्टर सर्वेक्षण आरम्भ

शिमला/शैल। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रदेश के लगभग 76 लाख ग्रामीण नागरिकों का आधार आधारित सत्यापन कर डिजिटल परिवार रजिस्टर तैयार करना है। अब तक 24.34 लाख लोगों का सत्यापन पूरा हो चुका है जबकि शेष 51.66 लाख लोगों का सत्यापन कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण के दौरान परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड अथवा फेस स्केन के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही राशन कार्ड को परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा ताकि सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके।

यह सर्वेक्षण राशन कार्ड, बीपीएल, पेंशन, आवास योजना जैसे सरकारी लाभों को पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही गाय, बैल, भैंस आदि पशुधन का भी पंजीकरण किया जाएगा, जिससे बेसहारा पशुओं की पहचान और बेहतर प्रबंधन संभव होगा।

ग्रामीण जनता ग्राम पंचायत सचिव अथवा अधिकृत सर्वेक्षण कर्मियों को उचित जानकारी प्रदान करने में पूरा सहयोग करें। लोगों द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और केवल सरकारी योजनाओं के लिए ही उपयोग किया जाएगा। यह सर्वेक्षण ग्रामीण परिवारों के हितों की रक्षा और सरकारी सेवाओं के लाभ पहुंचाने में बेहद महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

किसान के अंतिम खेत में जाएं कृषि अधिकारी:कृषि मंत्री

शिमला/शैल। धर्मशाला में उत्तरी क्षेत्र के कृषि अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार चौधरी ने की। इस बैठक में कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा तथा ऊना जिलों के कृषि अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों के खेतों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर किसान की जेब में एटीएम की तरह किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ताकि वे कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने सभी पात्र अधिकारियों को भी अपने-अपने किसान केडिट कार्ड बनवाने को कहा ।

मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों का पंजीकरण किया जाए, जिससे मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके। उन्होंने भूमि की मैपिंग, कृषि योग्य

भूमि की स्थिति का आकलन तथा विभिन्न फसलों के अनुरूप क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने पर भी बल दिया।

सिंचाई की सुविधा को दुरुस्त करने हेतु मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे पुरानी कुहलों और सिंचाई स्रोतों का अध्ययन करें और भू-संरक्षण अधिकारी अगली बैठक में जल क्षमता वृद्धि और कार्य योजना प्रस्तुत करें। उन्होंने वर्षा जल संग्रहण प्रणाली तथा नलकूपों की स्थापना पर भी ज़ोर दिया।

मंत्री ने निष्क्रिय पड़े कृषि फार्मों को सक्रिय कर उनमें एग्रो टूरिज्म और नवाचार आधारित गतिविधियां आरंभ करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि सभी फार्मों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

साथ ही मिट्टी परीक्षण की महत्ता को रेखांकित करते हुए कृषि मंत्री ने अधिक से अधिक किसानों की भूमि का परीक्षण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देने की भी बात कही।

बैठक में देहरादून में हाल ही में संपन्न रिमोट सेंसिंग प्रशिक्षण का भी उल्लेख हुआ, जिसके लिए अधिकारियों ने मंत्री का आभार व्यक्त किया।

हिमाचल प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग के 18 नवाचार पर कार्य प्रारम्भ: नंदिता गुप्ता

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समावेशी और प्रभावी बनाने हेतु शुरु की गई नई पहलों को हिमाचल प्रदेश में भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पहलों को छः प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें मतदाता, राजनीतिक दल, प्रक्रियागत सुधार, कानूनी प्रावधान, चुनाव कार्मिक और निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक सुधार शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि मतदाताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है, जिससे कतारों और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बहुमंजिला इमारतों एवं घनी कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मृत्यु पंजीकरण की जानकारी अब सीधे आरजीआई (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) के डेटाबेस से प्राप्त कर मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इस दिशा में सम्पूर्ण देश में सीईओ, डीईओ और ईआरओ स्तर पर 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के परिपेक्ष्य में राज्य में आयोजित बैठकों में जिला स्तर पर 57 और उप-मंडल स्तर पर 200 राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ संवाद स्थापित किया, जिनमें आम आदमी पार्टी, भाजपा, बसपा, माकपा, एनपीपी प्रमुख रहे। उन्होंने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में बूथ लेवल एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

उन्होंने बताया कि प्रक्रियागत सुधारों के तहत नया ईसीआईएनईटी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है जो सभी निर्वाचन सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाएगा। डुप्लीकेट एपिक (मतदाता पहचान पत्र) नंबर की समस्या का समाधान किया गया है, अब प्रत्येक एपिक नंबर अद्वितीय होगा।

उन्होंने कि कानूनी प्रावधानों की पहल के तहत 28 प्रमुख हितधारकों की पहचान की गई है, जिनमें मतदाता, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक दल, प्रत्याशी आदि शामिल हैं। इन हितधारकों के लिए आरपी अधिनियम, नियमों और आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जा रही है। निर्वाचन कार्मिकों के सशक्तिकरण के लिए बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में अब तक 3000 से अधिक बूथ पर्यवेक्षक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। आगामी वर्षों में एक लाख बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश से प्रथम बैच 26 – 27 मई को प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, जिसमें 3 जिला निर्वाचन अधिकारी, 12 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और 68 बीएलओ पर्यवेक्षक भाग लेंगे। राज्य मीडिया नोडल अधिकारियों तथा राज्य सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय से उन्मुखीकरण सत्र आयोजित किए गए। जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के दो अधिकारियों तथा जिला लोक संपर्क अधिकारी मण्डी ने भी भाग लिया था। बिहार पुलिस अधिकारियों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक सुधारों के तहत आयोग कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है। ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करते हुए कागज़ रहित कार्यप्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाए गए है। सीईओ के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही है ताकि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी हो सके। मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक स्पष्ट एवं उपयोग अनुकूल बनाया गया है। अब पर्ची में क्रम संख्या और भाग संख्या प्रमुखता से प्रदर्शित होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने कहा कि यह सभी पहलें निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं आधुनिक बनाने में सहायक सिद्ध होगी। हिमाचल प्रदेश इस दिशा में अग्रणी राज्य बनने के लिए संकल्पित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता के लिए आदर्श उप-नियम जारी

शिमला/शैल। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने आदर्श उप-नियम -2025 जारी किए हैं। ये उप-नियम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 188 के तहत जारी किए गए हैं। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले छः महीनों के भीतर इन उपविधियों/बाय-लॉ को अपनाएं।

ग्रामीण विकास विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि इन उप-नियमों के तहत सभी घरों और संस्थानों पर ही पृथक करना, घर-घर कचरा संग्रहण, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और स्वच्छता शुल्क की वसूली अनिवार्य होगी। एकत्रित धनराशि का उपयोग स्वच्छता सुविधाओं के संचालन, रखरखाव और कचरा संग्रहण के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति पर किया जाएगा। ग्राम पंचायतें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वच्छता शुल्क और जुर्मानों की दरों में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

प्रवक्ता ने बताया कि ये उप-नियम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती ठोस कचरा समस्या से निपटने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया जाएगा और नागरिकों को इन सेवाओं की मांग करने का अधिकार भी मिलेगा। साथ ही पंचायतों को राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित होगा।

हर ग्राम पंचायत को ये सेवाएं कचरा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से प्रदान करनी होंगी और कचरे को पंचायत स्तर पर बनाए गए शेड तक पहुंचाना होगा। पुनः उपयोग योग्य प्लास्टिक कचरे को रीसाइक्लरों को बेचा जाएगा और जो प्लास्टिक कचरा पुनः उपयोग योग्य नहीं है, उसे खंड स्तर पर स्थापित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों के माध्यम से सीमेंट कारखानों में को-प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। इस संबंध में विभाग द्वारा सीमेंट कारखानों के साथ औपचारिक समझौते किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जिला, खंड और पंचायत स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन उप-नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करें और ग्राम सभाओं में इनके अंगीकरण की सूचना भेजें। ग्राम पंचायतों के लिए उपविधियां बनाना, कचरा उत्पादकों और पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारियों को कानूनी रूप से स्पष्ट करने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

विपक्ष ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा

सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं:जयराम

शिमला/शैल। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल में चल रहे पुलिस अधीक्षक, डीजीपी एवं विमल नेगी मृत्यु प्रकरण पर सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आकंठ भ्रष्टाचार एवं उस भ्रष्टाचार को दबाने के कारण प्रदेश के एक सरकारी अधिकारी विमल नेगी की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि हम यह भी कह सकते हैं की सरकार ने अपने कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार को दबाने के लिये एक बली ली और आने वाले समय में कितनी और बलिया लेंगे इसका अभी पता नहीं।

नेता प्रतीपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा की विधानसभा का पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का इस्तीफा मांगता है क्योंकि जिस प्रकार से विमल नेगी मामले में भ्रष्टाचार को दबाने की बात सामने आई है और विमल नेगी के परिजनों को न्याय से दूर रखने का कार्य किया है इस कृतज्ञता के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी पर बने रहने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है और वर्तमान कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है।

उन्होंने कहा कि आज भी जनता एवं विमल नेगी के परिवारजन पूछ रहे हैं कि यह मृत्यु कैसी हुई और प्रथम दिन से वह हिमाचल प्रदेश में हो रही जांच से संतुष्ट नहीं थे इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, अपितु मुख्यमंत्री को लगातार झूठ बोलने की आदत हो गई है और वह लगातार कह रहे थे कि नेगी के परिवार ने कभी सीबीआई जांच मांगी ही नहीं, आज उच्च न्यायालय का फैसला आया है और उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपी है इसके लिए हम उच्च न्यायालय का आभार भी व्यक्त करते हैं।

जयराम ठाकुर ने भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए बताया कि सूत्रों के अनुसार हमें पता लगा है कि पेखुबेला सोलर पावर प्लांट में नियम के अनुसार 10% लिक्विडेशन चार्ज काटे जाने थे जिसका कुल योग 22 करोड़ है, परंतु इस सोलर प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने सरकारी अधिकारियों द्वारा दबाव डलवा कर 13 करोड़ की पेमेंट जारी करवाई यह पावर प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण विमल नेगी ने अपनी जान गवाई। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के नेताओं और सरकार के अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार

को संरक्षण दिया है। एचपीसीएल में संचय में आने वाले अधिकारियों को और मजबूत किया गया है एवं ज्यादा संरक्षण दिया गया है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा सामने आया है जैसे पुलिस अधीक्षक को सरकार द्वारा ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है और जिस प्रकार से उन्होंने अपने उच्च अधिकारी डीजीपी के खिलाफ प्रेस वार्ता की उससे सीधा स्पष्ट होता है की वर्तमान पुलिस अधीक्षक सरकार के संरक्षण में इस प्रकार के कार्य कर रहा है, डीजीपी ने जो शपथ पत्र उच्च न्यायालय में दिया है उसमें पुलिस अधीक्षक के बारे में गंभीर आरोप लगाये हैं। वैसे तो पुलिस को अनुशासन के लिए जाना जाता था, पर पुलिस के इस झगड़े के बाद अनुशासनहीनता के लिये जाना जाएगा। हिमाचल में पुलिस अधीक्षक एवं एडवोकेट जनरल जिस प्रकार से प्रेस वार्ता कर उच्च न्यायालय के दिये गये फैसले को चुनौती दे रहे हैं वह भी न्यायालय का कंटेंप्ट है इन पर कारवाई होनी चाहिए।

पर पुलिस अधीक्षक के इतने हौसले बढ़ गये कि वह डीजीपी, पूर्व डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी एवं भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं ऐसा आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

जयराम ठाकुर ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी जैसे जिन अधिकारियों ने रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की है उन पर सख्त कारवाई हो। जिन कांग्रेस नेताओं को संरक्षण मिला है उन पर सख्त एक्शन हो।

फॉरेंसिक जांच में सामने आया की नेगी की पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया गया है इस पर सख्त कारवाई होनी चाहिए। पेन ड्राइव को ले जाने वाले पंकज का क्या रोल है, इसकी जांच होनी चाहिए। पंकज लाइन हाजिर हो गया है तो उसको पुलिस की प्रोटेक्शन की मांग क्यों उठ रही है क्या उसे जान का खतरा है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा है की जांच में कोई भी हिमाचल का पुलिस अफसर शामिल नहीं होना चाहिए इसको अमल करना चाहिए। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजैन्सी है उसमें सरकार को विश्वास रखना चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि विमल नेगी की मृत्यु हत्या है या आत्महत्या ?

सुविधाओं से लैस होगी वन विभाग की शिमला स्थित कालोनियां:के थिरुमल

- कर्मचारियों के सरकारी आवासों की प्राथमिकता के आधार पर होगी मुरम्मत
- पानी की किल्लत और पार्किंग की समस्या से मिलेगी निजात
- नये आवास बनाने का प्रस्ताव भेजेंगे सरकार को

शिमला/शैल। वन विभाग के शिमला स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारयों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया

जाएगा। विशेषकर वन विभाग की शिमला स्थित खलिनी, मिस्ट चैंबर और चक्कर कालोनियों में कर्मचारयों को टाईप-I, टाईप-II और टाईप-III मकानों में लम्बे अरसे से चल रही दिक्कतों से वर्ष 2025 में निजात मिलेगी । वन विभाग के सरकारी आवासों में पिछले कई वर्षो से चली आ रही खस्ता हालत के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। यह बात शिमला के सीसीएफ के थिरुमल ने वन विभाग कर्मचारी महासंघ की शिमला इकाई द्वारा आयोजित एक बैठक में कर्मचारयों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि छोटे कर्मचारी वन विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, और उनके लिए सरकारी आवासों में मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। थिरुमल ने बताया कि छोटे कर्मचारयों को शिमला में रहने के लिए सरकारी मकान काफी कम हैं, जिसके चलते अनेक कर्मचारयों को प्राईवेट मकानों में रहना पड़ रहा है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वो उच्चाधिकारियों के समक्ष कर्मचारयों के लिए चरणबद्ध तरीके से टाईप-I, टाईप-II और टाईप-III के आवास बनाने हेतु एक प्रस्ताव रखेंगे, ताकि शिमला में सभी कर्मचारयों को सरकारी आवास सुनिश्चित हो सकें। सीसीएफ शिमला ने बताया कि उन्हें अकसर यह शिकायतें मिल रही हैं कि छोटे कर्मचारियों के मकानों में ज़रूरी मुरम्मत भी नहीं की जाती। जबकि अधिकारयों के सरकारी आवासों में अधिक धनराशि खर्च की जाती है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी मकानों में अधिकारियों और कर्मचारियों के मकानों के लिए एक सुनिश्चित अनुपात के तहत धनराशी आबंटित की जाये।

शिमला में गर्मियों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अब 500 के स्थान पर 1000 लीटर के स्टोरेज टैंक लगाये जाएंगे, ताकि कर्मचारियों को पानी की दिक्कत न हों । उन्होंने यह भी बताया कि अब वन विभाग की कालोनियों में पानी के वितरण के लिए एस जे पी एन एल से हर कर्मचारी को सीधा कनेक्शन दिया जाएगा ताकि पानी का बराबर वितरण हो सके। इसके लिए विभाग द्वारा चालीस लाख की राशि पानी के मीटर लगाने के लिए एस जे पी एन एल को दे दी गयी है, अब जल्द ही मीटर लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी। वन विभाग की सरकारी कालोनिओं में नई पार्किंग स्थापित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए जाएंगे ताकि कर्मचारयों को अपने वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके।

के थिरुमल ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की छोटी-छोटी समस्याओं को दो दिनों के अन्दर सुलझाया जाए और इसे सुनिश्चित करने के लिए वो कम्प्लेंट रजिस्टर को हर हफ्ते खुद मोनिटर करेंगे। के थिरुमल ने यह भी बताया कि शिमला वृत्त कार्यालय मिस्ट चैंबर के बाहर लगे हैण्ड पम्प के पानी के प्रयोग के लिए एक ओवर हैड टैंक लगाया जाएगा, ताकि पानी की किल्लत का समाधान हो सके। वन विभाग की खलीनी, मिस्ट चैम्बर तथा चक्कर कालोनियों में कर्मचारयों को पार्किंग स्टीकर दिए जाएंगे ताकि बाहरी लोगों द्वारा विभाग की कालोनियों में अनाधिकृत पार्किंग को रोका जा सके। बिना पार्किंग स्टीकर वाली गाड़ियों का चालान करवाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ के राज्याध्यक्ष प्रकाश बादल ने सीसीएफ के थिरुमल का आभार व्यक्त किया।